आदेश व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 599/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक, फुलेरा, जिला जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स सैनी एजेन्सी जरिये प्रोपराईटर श्री राहुल सैनी पुत्र श्री कैलाश चंद सैनी,
   पताः— 49, माली मोहल्ला, फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
2. श्री राहुल सैनी पुत्र श्री कैलाश चंद सैनी,
3. श्री कैलाश चंद सैनी पुत्र श्री लादू राम,
   पताः— श्रीराम नगर, महामाया मार्ग, फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणीएवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थितः—श्री राहुल शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 09.09.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री कैलाश चंद सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति 1. पट्टा नं. 465, दिनांकित 10.05.2018 नगरपालिका फुलेरा, ढ़ाणी कारीगरान, श्रीराम नगर, तहसील फुलेरा, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 143.55 वर्गगज एवं 2. पट्टा संख्या 464 दिनांकित 10.05.2018, नगरपालिका फुलेरा, ढ़ाणी कारीगरान, श्रीराम नगर, तहसील फुलेरा, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 52.88 वर्गगज को बंधक रख कर दिनांक 31.05.2023 को राशि 18,00,000/— रूपये, दिनांक 29.06.2020 को राशि 02,00,000/— रूपये, कुल राशि 20,00,000/—रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.03.2025 को रजिस्टर्ड़ नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्ती संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 20,00,000/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 18,55,590/—रूपय की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 06.03.2025 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शाक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री कैलाश चंद सैनी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति 1. पट्टा नं. 465, दिनांकित 10.05.2018 नगरपालिका फुलेरा, ढ़ाणी कारीगरान, श्रीराम नगर, तहसील फुलेरा, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 143.55 वर्गगज एवं 2. पट्टा संख्या 464 दिनांकित 10.05.2018, नगरपालिका फुलेरा, ढ़ाणी कारीगरान, श्रीराम नगर, तहसील फुलेरा, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 52.88 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 09.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3538-39
25-9-25